राजस्थान सरकार
## कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक प.1(1)(जी–46)आ.कृ/ 845-47 दिनांक : 30-06-2017

## सूचना

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा कृषि अधिकारी के पद पर चयनित 32 अभ्यार्थियों की सूची नियुक्ति आदेश जारी करने हेतु भिजवायी गई है। चयनित अभ्यार्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु दिनांक 15.07.2017 को प्रातः 10 बजे दस्तावेजो के मूल एवं उनके स्वयं के हस्ताक्षर द्वारा सत्यापित छायाप्रतियों के साथ कमेटी कक्ष, कृषि आयुक्तालय में उपस्थित होना है। दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यार्थियों को कोई यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा। निर्धारित स्थान, दिनांक, समय पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश जारी होने में विलम्ब के लिये वे स्वयं उत्तरदायी होगें। निर्धारित दिनाक को मूल दस्तावेजों के सत्यापन एवं नियमानुसार अन्य शर्ते पूर्ण करने तथा राज्य सरकार के पूर्ण रूप से सन्तुष्ट होने पर नियुक्ति आदेश जारी किये जावेंगें।

**दस्तावेजो की सूची :–**

1. शैक्षणिक योग्यता सत्यापन हेतु अंकतालिका/प्रमाण पत्र।
2. जन्मतिथि के सत्यापन हेतु – सैकेण्डरी उत्तीर्ण की अंकतालिका/प्रमाण पत्र या अन्य संबंधित मान्य दस्तावेज।
3. **पूर्वाचरण** प्रमाण पत्र (Verification of antecedents Certificate) जो संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी हो।
4. राजस्थान सेवा नियमों के नियम 11 के अन्तर्गत निर्धारित स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, जो प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (PMO) तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा जारी किया गया हो किन्तु महिलाओं के संबंध में किसी भी राजकीय महिला चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र स्वीकार्य होगा। (प्रारूप–द)
5. मूल निवास प्रमाण पत्र।
6. **वर्ग सत्यापन हेतु** : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति (टी.एस.पी.), अनुसूचित जनजाति (टी.एस.पी.), पिछडी जाति, विशेष पिछडी जाति, सहरिया आदिम जाति का सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र।
7. विधवा कोटे में चयनित महिला को अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पुनर्विवाह नही किया गया है, इस आशय का स्व–हस्ताक्षरित घोषणा पत्र।
8. परित्यक्ता महिला कोटे में चयनित महिला को सक्षम न्यायालय के निर्णय की सत्यापित प्रति।
9. निःशक्तजन कोटे में चयनित अभ्यर्थियों को राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों के नियोजन नियम, 2011 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण पत्र, जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता का हो।
10. पृथक–पृथक राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी दो नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र।
11. अविवाहित (पुरूष एवं महिला) की स्थिति में स्व–हस्ताक्षरित घोषणा।

12. विवाहित होने की स्थिति में, यदि विवाह दि0 22.05.2006 के बाद हुआ हो तो राज्य सरकार की अधिसूचना दि0 22.05.06 के अनुसार विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र।
13. राज्य सरकार की विज्ञप्ति दि0 20.06.2001 के तहत संतान संबंधी घोषणा (प्रारूप–य)
14. आपराधिक / सजायाफ्ता नहीं होने / तम्बाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने इत्यादि से संबंधित स्व–हस्ताक्षरित घोषणा पत्र (प्रारूप–र)
15. दहेज नहीं लेने / नहीं लिया संबंधी स्व–हस्ताक्षरित घोषणा पत्र (प्रारूप–ल)
16. राजस्थान सेवा नियम पार्ट–II के परिशिष्ठ 18–(ख) के अनुसार स्व–हस्ताक्षरित बंध–पत्र, जो लगभग पाच लाख पचास हजार से कम का नहीं हो (प्रारूप–व)
17. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित नाम / उपनाम तथा शैक्षणिक योग्यता एवं जन्मतिथि के दस्तावेजों में अंकित नाम / उपनाम, जन्मतिथि आदि में यदि भिन्नता हो तो वांछित दस्तावेज।
18. नवीनतम दो पासपोर्ट साइज फोटो जो कि स्व प्रमाणित हो प्रस्तुत करें।

संलग्न:– चयन सूची एवं संबंधित प्रपत्र

(विकास सीतारामजी भाले)
आयुक्त कृषि

क्रमांक प.1(1)(जी–46)आ.कृ/ 845-47 दिनांक : 30-06-2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:–

1 शासन उप सचिव कृषि ग्रुप–1 विभाग राज0 जयपुर।
2 ए0सी0पी0 मु0 जयपुर को भेजकर लेख है कि कृषि विभाग की बेवसाईट पर अपलोड करावें।

(सोमेन्द्र शर्मा)
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)

(उदयभान सिंह)
निदेशक कृषि (प्रशासन)
राज., जयपुर

# RAJASTHAN PUBLIC SERVICE COMMISSION, AJMER.

LIST OF CANDIDATES SELECTED BY THE COMMISSION IN ORDER OF MERIT FOR THE POSTS OF **AGRICULTURE OFFICER, AGRICULTURE DEPARTMENT** :-

| SNO | Roll NO. | NAME OF CANDIDATE | CATEGORY | SELECTED AGAINST POST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 211835 | SURESH CHAND YADAV | BC | GENM |
| 2 | 210265 | SOURABH GARG | GE | GENM |
| 3 | 211665 | NARENDRA KUMAR JAIN | GE | GENM |
| 4 | 211224 | RAJPAL JHAJHARIA | BC | GENM |
| 5 | 212039 | SANJEEV KUMAR | BC | GENM |
| 6 | 210903 | VINOD KUMAR VERMA | SC | GENM |
| 7 | 210375 | MUKESH KUMAR MALI | BC | GENM |
| 8 | 211681 | JOGENDRA SINGH RANAWAT | GE | GENM |
| 9 | 211949 | SURESH KUMAR CHOUDHARY | BC | GENM |
| 10 | 212580 | SANDHYA KUMARI DHAKA | BC,WE | GENF |
| 11 | 210928 | SARITA MUHAL | BC,WE,NG | GENF |
| 12 | 211034 | DWARKA PRASAD | BC | GENM |
| 13 | 210493 | PRAKASH SINGH YADAV | BC | GENM |
| 14 | 211286 | OM PRAKASH TARD | BC | GENM |
| 15 | 211038 | MAHESH CHAND | GE | GENM |
| 16 | 210458 | RAJESH BHANWAL | BC | OBCM |
| 17 | 211652 | RAJENDRA PRASAD SAMOTA | BC | OBCM |
| 18 | 211051 | VIKASH KUMAR | BC | OBCM |
| 19 | 212021 | TARUN PAL SINGH | BC | OBCM |
| 20 | 210607 | SHEELA SHARMA | GE,WE | GENF |
| 21 | 211894 | RAMNIWAS CHOUDHARY | BC | OBCM |
| 22 | 211534 | NAND RAM MEENA | ST | STM |
| 23 | 211876 | MAMTA KUMARI | BC,WE | GENF |
| 24 | 211956 | ASHOK KUMAR MEENA | ST | STM |

Contd...........2

15/1/2k

सचिव
राजस्थान लोक सेवा आयोग

# MERIT LIST – Agriculture Officer

| SNO | Roll NO. | NAME OF CANDIDATE | CATEGORY | SELECTED AGAINST POST |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 211136 | RAJANI | BC,WE | GENF |
| 26 | 211003 | SUBHASH CHANDRA | SC | SCM |
| 27 | 212205 | GUNJAN ASWANI | SC | SCM |
| 28 | 210205 | HARSHA | SC,WE | SCF |
| 29 | 210690 | PRIYANKA MEENA | ST,WE | STM |
| 30 | 210855 | SANGITA MEENA | ST,WE | STF |
| 31 | 211304 | SIDDHHARTH KUMAR SOLANKI | SC,NG | SCM |
| 32 | 210602 | REKHA YOGI | BC,WE | OBCF |

सचिव
राजस्थान लोक सेवा आयोग

<u>प्रारूप–द</u>

## स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
(राजस्थान सेवा नियम 10)

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मैंने ............................................................................ ............ जो कि **कृषि विभाग, राजस्थान सरकार** में **कृषि अधिकारी** के पद पर नियुक्ति के लिए प्रत्याशी है, शारीरिक स्वास्थ्य की परीक्षा की है तथा मुझे ..................................... ............................... के अतिरिक्त ऐसी कोई बीमारी (जो उल्लेखनीय अथवा अन्यथा प्रकार की हो) शारीरिक निर्बलता या दोष प्रतीत नही हुआ है। मैं **कृषि विभाग** में उसे नियुक्ति के लिए अयोग्य नही समझता।

हस्ताक्षर सक्षम चिकित्सा अधिकारी
मय सील

प्रारूप–य

## कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक प.7(1)डी.ओ.पी. / क–2 / 95 दि0 20.6.2001 के क्रम में संतान संबंधी घोषणा

मैं—————————————————पुत्र / पुत्री——————————————— – निवासी ——————————————————— एतद् द्वारा घोषणा करता / करती हूं कि दिनांक 31.05.2002 तक मेरे बच्चो (पुत्र / पुत्री) की संख्या ——————— थी। विवरण निम्न प्रकार है :–

| क्र.सं. | नाम | संबंध | जन्मतिथि |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

दिनांक 01.06.2002 को अथवा इसके पश्चात् मेरे बच्चो की संख्या में वृद्धि हुई है / नही हुई है एवं वर्तमान में बच्चों (पुत्र / पुत्री) की कुल संख्या —————— है। विवरण निम्न प्रकार है :–

| क्र.सं. | नाम | संबंध | जन्मतिथि |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

जो लागू नहीं हो, उसे काट दें।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
नाम :

# शपथ पत्र

मैं ............................................................ पुत्र/पुत्री श्री ............................................... रोल नम्बर ................. पंजीयन क्रमांक .................................. रेंक नं0 ..................................... कृषि अधिकारी के पद के लिए दस्तावेज सत्यापन हेतु अभिप्रस्तावित हुआ/हुई हूं, सशपथ बयान करता हूं / करती हूं :–

1. कि मैं राजस्थान कृषि सेवा नियम, 1960 यथा संशोधित में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत कृषि अधिकारी पद हेतु अपेक्षित अर्हता रखता /रखती हूं। इस क्रम में मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज वैध एवं सत्य है तथा संस्था, जिसका प्रमाण पत्र मैंने प्रस्तुत किया है, वह नियमानुसार है।
2. कि मेरे द्वारा शैक्षणिक योग्यता संबंधी दी गई जानकारी विज्ञापन में अंकित शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप है।
3. कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन से संबंधित सभी दस्तावेज पूर्णरूप से सही है एवं मिथ्या/जाली/नकली/ गलत तरीके से तैयार कराकर प्रस्तुत नहीं किये गये है।
4. कि मेरे विरूद्ध कभी भी किसी भी थाना क्षेत्र में कोई आपराधिक प्रकरण न तो दर्ज हुआ है और न ही मेरे विरूद्ध किसी प्रकार की कोई आपराधिक जांच लम्बित है। मेरे विरूद्ध कोई फौजदारी/न्यायिक प्रकरण किसी भी न्यायालय में न तो दायर हुआ है और न ही लम्बित है।
5. कि मैं तम्बाकू या तम्बाकू उत्पादो का सेवन नहीं करता हूं और न ही राजकीय सेवा के दौरान करूंगा।
6. कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी दस्तावेज किसी भी प्रकार से जाली/नकली पाया जाता है और तथा/अथवा मेरे द्वारा उक्त घोषणा पूर्ण अथवा आंशिक असत्य पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में मुझे पूर्ण रूप से ज्ञात है कि मेरी अभ्यर्थिता/पात्रता/चयन तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर उसी समय मुझे राजकीय सेवा से पृथक कर दिया जायेगा, जिसके लिये मैं स्वयं पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी। ऐसी स्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी को यह पूर्ण अधिकार होगा कि मेरे विरूद्ध वैधानिक/पुलिस/न्यायिक/ अनुशासनात्मक इत्यादि की कार्यवाही कर सकते है, जिसके लिये मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे यह भी ज्ञात है कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार अन्य परीक्षाओं में शामिल होने से मुझे वंचित (Debar) किया जा सकता है, उसके लिये भी मैं ही स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर अभ्यर्थी

नाम : ..............................................................................
पिता का नाम : ...........................................................
पत्र व्यवहार का पता :.....................................................
..............................................................................................

प्रारूप—ल

# दहेज के संबंध में प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ पत्र का प्रारूप

मैं ........................................................ पुत्र/पुत्री श्री ................................................ रोल नम्बर ... ..............पंजीयन क्रमांक .................................. रेंक नं0 ...................................... कृषि अधिकारी के पद के लिए दस्तावेज सत्यापन हेतु अभिप्रस्तावित हुआ/हुई हूं, सशपथ बयान करता हूं / करती हूं :—

कि मेरा विवाह दिनांक ................................ को हुआ है। विवाह के समय मेरे घरवालों ने ना तो दहेज लिया है/ना ही दहेज दिया है। भविष्य में दहेज लिए जाने के सम्बन्ध में मेरी पत्नी /मेरे पति एवं ससुराल पक्ष की ओर से कोई शिकायत विभाग/न्यायालय में दर्ज करवाई जाती है तो मेरी नियुक्ति समाप्त किये जाने का नियुक्तिकर्ता को पूर्ण अधिकारी होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

**अथवा**

मेरा विवाह अभी तक नहीं हुआ है और भविष्य में जब भी होगा, तब मैं या मेरे घरवाले ना तो दहेज लेंगे/ना ही दहेज देंगे। भविष्य में दहेज लिए जाने के सम्बन्ध में मेरी पत्नी/मेरे पति एवं ससुराल पक्ष की ओर से कोई शिकायत विभाग /न्यायालय में दर्ज करवाई जाती है तो मेरी नियुक्ति समाप्त किये जाने का नियुक्तिकर्ता को पूर्ण अधिकारी होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा /रहूंगी।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर अभ्यर्थी

नाम व पिता का नाम :..........................................

स्थाई पता : ..........................................................................

..........................................................................

**जो लागू नहीं हो, उसे काट दें।**

## राज0 सेवा नियम के नियम 22 (ख) के अन्तर्गत बन्ध–पत्र

### राज्य कर्मचारी जिसे प्रशिक्षण पर भेजा जाता है और जिसे राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7 (8) (ख) के अन्तर्गत ड्यूटी पर माना जाता है, द्वारा निष्पादित करने का प्रारूप बन्ध–पत्र

यह बन्ध–पत्र आज दिनांक .............. माह ........... 2017 को एक पक्ष के श्री......................... निवासी.................................................................................................................................................... ....(जो एतद्पश्चात् "प्रशिक्षणार्थी" कहलायेंगे) एवं श्री ...............................................पुत्र श्री............................... ...... (प्रथम जामिन) और श्री................................................... पुत्र श्री ................................................ (द्वितीय जामिन) (जो एतद्पश्चात् "सामुहिक रूप में जामिन" कहलायेंगे) की ओर से राजस्थान राज्य के राज्यपाल (जो एतद् पश्चात् "सरकार" कहलायेंगे) के पक्ष में लिखा गया।

चूंकि नियमानुसार प्रशिक्षणार्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह अवधि दिनांक ................. से दिनांक ..................तक प्रशिक्षण प्राप्त करें।

और चूंकि, सरकार प्रशिक्षणार्थी को एतद्पश्चात् लिखी शर्तो पर और इस शर्त पर कि जामिन यह जमानत देंगे कि प्रशिक्षणार्थी द्वारा कथित शर्तो के अनुसार उचित निष्पादन किया जावेगा, उसे प्रशिक्षण पर रखने को सहमत हो गई है :

और चूंकि जामिन, प्रशिक्षणार्थी द्वारा इसको कथित शर्तो की पूर्णतः अनुपालना निम्न दर्शाई पद्धति के अनुसार करने हेतु जमानत देने को सहमत हो गये हैं,

अतः यह विलेख निम्न बातों का साक्ष्य है :

(1) कि सरकार द्वारा नियमानुसार प्रशिक्षणार्थी का प्रशिक्षण हेतु चयन करने को विचार में रखते हुए और कथित इकरारनामे के प्रतिफल में प्रशिक्षणार्थी एतद्द्वारा सरकार से संविदा करता है कि ऐसे प्रशिक्षण के दौरान तथा इस प्रशिक्षण के पूर्ण होने के दो वर्ष के अन्दर वह राज्य सेवा से न तो त्याग–पत्र देगा और न सेवा–निवृत्ति लेगा।

(2) ऊपर लिखित प्रतिफल और उक्त कथित इकरारनामे के अनुसरण में, प्रशिक्षणार्थी और जामिन एतद्द्वारा सहमत है कि प्रशिक्षण अवधि के दौरान या प्रशिक्षण पूर्ण होने के एक या दो वर्ष की अवधि के अन्दर, यदि प्रशिक्षणार्थी त्याग–पत्र देता है या उक्त खण्ड (1) का उल्लंघन कर कोई अन्य नियोजन स्वीकार करता है तो प्रशिक्षणार्थी और जामिन संयुक्त रूप से और अलग रूप से राज्य सरकार को वह समस्त राशि अदा करेंगे जो सरकार ने प्रशिक्षणार्थी को दी है एवं इसके साथ वे सब अन्य व्यय भी लौटा देगा जो इसमें सरकार को व्यय करने पड़े किन्तु इससे प्रासंगिक नियमों के अधीन प्रशिक्षणार्थी को दिये गये यात्रा भत्ते की राशि सम्मिलित नहीं होगी।

परन्तु प्रशिक्षणार्थी और जामिन को, प्रशिक्षणार्थी के प्रशिक्षण के दौरान दी हुई यह राशि तब तक नहीं लौटानी पड़ेगी यदि सरकार की राय में प्रशिक्षणार्थी को दिया हुआ यह प्रशिक्षण किसी अन्य नियुक्ति पर भी उपयोगी सिद्ध जान पड़े।

इसके साक्ष्य स्वरूप यह बन्ध–पत्र प्रशिक्षणार्थी और जामिनों द्वारा उपयुक्त अंकित दिनांक और वर्ष को हस्ताक्षर किया गया है।

प्रशिक्षणार्थी द्वारा हस्ताक्षरित

प्रथम जामिन द्वारा हस्ताक्षरित मय पूर्ण पता :

द्वितीय जामिन द्वारा हस्ताक्षरित मय पूर्ण पता :

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर लिखित जामिनों के स्वामित्व में स्थाई सम्पत्ति है जिसका मूल्यांकन रू0 ................................ (अक्षरे रूपये ........................................................................) से कम नहीं है।

हस्ताक्षर अभ्यर्थी

**टिप्पणी** : इस प्रमाण–पत्र में जो राशि भरी जाये वह उस समस्त अनुमानित राशि से कम नहीं होनी चाहिये जो राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षणार्थी को दी गई थी।

परिशिष्ठ –ग

# नॉन क्रिमीलेयर की समायावधि एक या दो वर्ष वृद्धि के शपथ–पत्र का प्रारूप

मैं श्री........................................ पुत्र/पुत्री श्री .................................................. उम्र..............वर्ष, निवासी...................................................................... तहसील ...............................जिला............................... राजस्थान शपथ पूर्वक निम्न प्रकार घोषणा करता हूँ/करती हूं कि –

1. राज्य के पिछडे वर्ग का होने तथा क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) के नहीं होने के संबंध में मुझे सक्षम अधिकृत (कार्यालय का नाम)............................................... से क्रमांक ................................ दिनांक............................ द्वारा एक वर्ष के लिये प्रमाण पत्र जारी हुआ था।
2. मेरे माता/पिता की समस्त स्रोता से वार्षिक आय के अनुसार दिनांक 15 जुलाई, 2015 तक के लिये भी मैं राज्य सरकार द्वारा घोषित क्रीमीलेयर की सीमा में नहीं रहा/रही हू।
3. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं/करती हूं कि यह तथ्य मेरी जानकारी मे है कि इस शपथ पत्र में अंकित तथ्य का गलत अथवा मिथ्या होना भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

## सत्यापन

मैं शपथ पूर्वक घोषण करता हूं/करती हूं कि उपरोक्त शपथ पत्र की मद संख्या 1 से 3 तक मेरी निजी जानकार में सत्य एवं सही है इसमें कोई भी तथ्य नहीं छुपाया गया है और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता